शिक्षाका सभी क्षेत्रों में बाजारीकरण र करना और केजी से पीजी मुफ्त, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक निधीद्वारे प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए ।

मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियान, मुंबई

अवेहि-अॅबकस प्रकल्प, के.के.मार्ग म्यु. शाळा, न्यू. शिरीन टॉकीजच्या मागे, सात रस्ता, जेकब सर्कल, महालक्ष्मी, मुंबई ४०००११ फोन नं.: २३०७५२३१ email: avehiabacus@gmail.com
युसूफ मेहेरअली सेंटर, डी-१५, गणेश प्रसाद, नउशिर भरूचा मार्ग, ग्रँटरोड (प.),मुंबई ४०००७ फोन नं. : २३८७००९७ email: yusufmeherally@gmail.com

जावक क्र. : मुंशिकंविअ/०९/२०१३ दिनांक : ५/०३/२०१३

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इनके घर 'वर्षा' से ३ मार्च को देर रात ११.१५ बजे दूरध्वनी संदेशद्वारा ४ मार्च दोपहर ३.३० को अभियान के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री मुलाकात देंगे यह पता चला । लेकीन शिष्टमंडल में शामिल मान्यवर प्रा. एन. डी.पाटील, श्री. भाई वैद्य, कॉ. गणपतराव देशमुख, कॉ. गोविंदराव पानसरे, न्या. बी.एन,देशमुख, श्री. अरविंद वैद्य, प्रा. पुष्पाताई भावे, श्रीमती रत्ना पाठक शहा, श्री. आनंद पटवर्धन, श्रीमती सिंमतिनी धुरू आदि मुंबई शहर के बाहर व्यस्त होने के कारण मुलाकात के लिए उपस्थित होना इन्हे असंभव था ।

इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री कार्यालयद्वारा ३ कार्यालयीन दिन पहले निश्चित तौर पर लिखीत या दूरध्वनीपर सूचना देकर चर्चा के लिए फिर से मुलाकात मिले यह लिखीत निवेदन तैयार किया गया। इस निवेदन के साथ ॲड. प्रकाश आंबेडकर, कॉ. प्रकाश रेड्डी, श्याम सोनार इन तीन सदस्यों ने प्रतिनिधिक स्वरूप में मुख्यमंत्री से मुलाकात की ।

मुलाकात के प्रमुख अंशः

मुंबई महापालिकाने अपने स्कूल 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टशीप' द्वारा 'दत्तक शाला विधान' नाम से निजी कंपनियाँ, निजी संस्था और एनजीओं को सोपने का प्रस्ताव २३ जनवरी २०१३ को आम सभा में मंजूर किया है । मनपा स्कूलों का दर्जा सुधारने के नाम पर ४ लाख मनपा के बच्चे, ११ हजार शिक्षक और हजारो शिक्षकेतर कर्मचारीओं पर इस निर्णय का गंभीर असर होनेवाला है । जनता का पैसा निजी संस्थाए, एनजीओं और कंपनियों को खुले आम सौंपा जायेगा । साथ ही जनता के पैसों से बनायी गयी इमारते (स्कूल), साधन-सामग्री और शिक्षकों का उपयोग गैर क़ानूनन मन चाहे ढंग से किया जाएगा । इस प्रस्ताव के अनुसार 'शिक्षा अधिकार क़ानून २००९'और 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम ढाचा २००५' के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है । इससे साफ जाहीर होता है महापालिका अपने संविधानिक क़ानूनी जिम्मेदारी से हट रही है ।

मुंबई मनपा जनता की दिये हुए टॅक्स से चलायी जाती है । महाराष्ट्र शासन हर साल मनपा को शिक्षा के लिए ढेर सारी सहुलियत मुहैय्या करती है । इसके सिवाय मनपा के कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार की जितनी भी इमारते है उनका टॅक्स मनपा शासन को माफ किया जाता है । बदले में महाराष्ट्र सरकार माफ किये गए टॅक्स की कुल रकम में से ८० प्रतिशत रकम मुंबई मनपा को देती है । साथ ही मनपा शिक्षा का खर्चा 'शिक्षा कर' (Education Cess) के नाम से जनता से वसूल करती है। मनपा स्थानिक स्वराज संस्था होने के नाते उसका उत्तरदायित्व उसे जनता के प्रती होना जरूरी है । लेकिन 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टशीप' PPP के इस प्रस्ताव ने संविधानिक क़ानूनों की अवमानना की है इसलिए उसे तुरंत रद्द किया जाय । बातें अभियानद्वारा मुख्यमंत्री के सामने रखी गयी ।

मुख्यमंत्रीने जवाब में कहाँ कि; अगर स्कूलों का दर्जा (Quality) सुधारने के लिए सरकारी और निजी दोनों शिक्षा संस्थाओं में प्रतियोगिता जरूरी है ऐसा उन्हें बताया गया है । मुंबई मनपा के स्कूल के संदर्भ में PPP के संबंध उन्हें पूरी जानकारी नहीं हैं यह इन्होंने माना । मनपा आयुक्त से जानकारी और चर्चा के बाद फिर से अभियान के अधिकांश सदस्यों की उपस्थिती में फिर से विस्तार से चर्चा करने का उन्होंने आश्वासन दिया ।

श्याम सोनार ८०८०८२९४९९